we who hold the reins ultimately of the governance of the country should ponder over the institutional devices which may remedy and rectify these defects. Any delay in this matter may prove to be perilous and hazardous to the developing democracy in our country.

I hope that it is realised by Government that the liberties and rights guaranteed in the Constitution and subscribed to by many liberal philosophers and politicians would remain, vague, mystical and inchoate unless an institutional base and medium is devised for the redress of the grievances of the common man, who much too often, to our great dismay, is pushed aside and pushed about.

It is quite clear that the creation or the establishment of such an institution as the Ombudsman would create greater public confidence and would cleanse the administration in such a way that it would better serve the ideals and objectives to which our society is committed.

I would like finally to submit to you in respect of the vote on this resolution only after the hon. Minister is able to give a definite and unequivocal expression of his views so far as the principle of this resolution is concerned, because my main purpose was to focus the attention of the country and of this House on the subject of this resolution. I do not want that this resolution should be defeated in this House by a forced majority. We have come to realise that this House is wholly in support of the idea of Ombudsman, and I would like to leave it at that, in case the hon. Minister is prepared to give an unequivocal expression of his view that very soon such an institution would be devised for redressing public grievances and that he accepts the fundamental principle of this resolution, which is unquestionably sound.

Mr. Deputy-Speaker: Is the hon. Minister prepared to give such an assurance?

Shri Hathi: I have already said what I wanted to say. As I have said, we accept the underlying principle, and everybody accepts it. What sort of machinery it should be will depend. We have before us the Santhanam Committee's report. The only question is what sort of machinery should be there. It may not be Ombudsman, but it may be something else. So, I cannot give that assurance.

Dr. L. M. Singhvi: In that case I would beg leave of the House to withdraw the resolution.

Mr. Deputy Speaker: There is an amendment to the resolution, moved by Shri Sidheshwar Prasad. I shall now put that to vote.

The amendment was put and negatived.

Mr. Deputy-Speaker: Has Dr. L. M. Singhvi the leave of the House to withdraw his resolution?

Several Hon. Members: Yes.

The resolution was, by leave, withdrawn.

Shri Harish Chandra Mathur: It is withdrawn in the light of the assurance.

16.39 hrs.

RESOLUTION *RE*: DISPARITY IN INCOME

श्री भी० प्र० यादव (केसरिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

> "इस सभा की यह राय है कि सरकार को अगली दो या तीन योजना अवधियों में निम्नतम और अधिकतम आय के बीच असमानता को

[श्री मी० प्र० यादव]

कम कर के १-३० करने की दिशा में हुई प्रगति का पुनर्विलोकन करने के लिए संसद् सदस्यों और आर्थिक विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त करनी चाहिए ।"

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो यह प्रस्ताव सदन के सामने लाया हूं वह किसी स्वार्थ विशेष या किसी वर्ग विशेष से सम्बन्धित नहीं हैं बल्कि देश हित को ध्यान में रख कर मैं इस प्रस्ताव को सदन के सामने रख रहा हूं । सम्पूर्ण संसार को मालूम है कि इस देश ने समाजवादी समाज की स्थापना के लिए व्रत लिया है जिस में प्रत्येक परिवार को जीवन की आवश्यक वस्तुएं मिलनी चाहियें, जिस में भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा तथा स्वास्थ्य की उपलब्धि हो सके ।

हमारे संविधान के डाइरैक्टिव प्रिंसिपल्स में भी आय की विषमता दूर करने की बात स्पष्ट रूप में कही गई है :—

"The State shall in particular direct its policy towards securing that the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment."

इसी प्रकार दूसरी पंचवर्षीय योजना के जो चार मुख्य उद्देश्य थे उन चार मुख्य उद्देश्यों में एक दूसरा यह भी था कि हमारी आर्थिक विषमता कैसे दूर हो । इस के लिए हम ने तीसरी पंचवर्षीय योजना में अपने उद्देश्य यानी आब्जैक्टिव साफ तौर पर इस तरह से ज़ाहिर किये हैं :—

"One of the four objectives of the Second Five Year Plan is the reduction in the inequalities of incomes, A reduction in equalities has to proceed from both ends. On the one hand measures have to be taken to reduce excessive concentration of wealth and incomes at higher levels and on the other incomes in general and particularly at the lowest levels have to be raised."

इसी तरह से तीसरी योजना में योजना आयोग ने एक कदम और आगे बढ़ कर एक निर्धारित अवधि तथा एक निर्धारित सीमा तक ही आय की विषमता का उल्लेख किया है यानी उसने साफ तौर पर कहा है कि अगली दो, तीन योजनाओं में निम्नतम तथा अधिकतम आय की विषमता औसत परिवार की आमदनी कर देने के बाद अधिक से अधिक वह १ और ३० के बराबर होगी । यह बात मान लेने के बाद उसमें साफ तौर से कहा गया है कि अगली दो, तीन योजनाओं में आर्थिक विषमता कम की जायेगी और अधिकतम और न्यूनतम आय का औसत १ और ३० का होना चाहिए । उसने साफ़ तौर पर कहा है :—

"Taxation Enquiry Commission considered a reasonable range of incomes after tax to be about thirty times the average family income. This broad objective should be progressively realised over the next two or three plan periods. Although, in view of the low incomes of the bulk of the populations, this range represents a considerable disparity, it should be further reduced as lower incomes rise."

उपाध्यक्ष महोदय, हम देखते हैं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में कौनक्रीट बिलकुल टोस तरीक़े पर यह कहा गया है कि हमारी नीति क्या है । उसमें यह भी कहा गया है कि दो, तीन योजनाओं की अवधि में हमारी अधिकतम जो विषमता होगी वह १ और ३० के बराबर होगी और आगे उस में यह भी कहा है कि आगे चल कर इस फर्क को और कम करना चाहिये । लेकिन जब हम इन

सारी बातों को देखते हैं और आज देश में जो परिस्थिति है और उन परिस्थितियों के कारण हमारी योजनाओं की जो प्रवृत्ति है उस से ऐसा नहीं मालूम होता कि हमारी विषमता घट कर १ और ३० के बराबर पहुंचने की प्रवृत्ति दिखा रही है। जो प्रवृत्ति इस देश में यहां की योजनाओं में है, कारण जो भी उस के हों, उन से तो यह पता चलता है कि यह आर्थिक विषमता घटने की बजाय बढ़ने की तरफ़ प्रवृत्ति दिखा रही है। यह एक बहुत ही भयावह परिस्थिति की सूचक है। इसलिए मैं चाहता हूं कि संविधान जब से बना, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बीच में बराबर हम ने महसूस किया कि हमारी विषमता घटनी चाहिये। जैसाकि हम ने हर योजनाओं में भी इस बात का उल्लेख किया तो मैं जानना यह चाहता था कि वह कौन से कारण हैं जो यह प्रवत्तियां घटने के बजाय बढ़ने की दिशा में अपनी प्रवृत्ति दिखला रही है? हमारे विधान के आधारभूत सिद्धान्तों एवं क्रमबद्ध योजना के विपरीत देश में आय की विषमता बढ़ रही है। आर्थिक शक्तियों का केन्द्रीकरण हो रहा है। आखिर इस का क्या कारण है? इन सब बातों को देखने के बाद हम यह देखते हैं कि हमारे देश में जो आंकड़े मौजूद हैं, जो तथ्य मौजूद हैं वह तथ्य इस बात के सबूत हैं कि हमारे देश में यह जो प्रवत्ति है वह बजाय घटने के बढ़ ही रही है तो आखिर इस का कारण क्या है? क्या योजना में कोई इस प्रकार की त्रुटि है या योजना को लागू करने में हमारी जो मशीनरी है उस में कोई त्रुटि है जो हमारी उल्लिखित नीति है उस को सही दिशा में न ले जा कर उस को विपरीत दिशा में ले जा रही है?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस के सम्बन्ध में एक बात और कहना चाहता हूं। क्या आज देश में और इस सदन में यह धारणा नहीं बनती जा रही है कि हमारे उच्च आदर्श घोषणाओं तक ही सीमित हैं? क्या यह तथ्य नहीं है कि गरीब और भी ग़रीब होते जा रहे हैं तथा धनी और भी धनी बनते जा रहे हैं? इस आशय का विचार इस सदन में तथा इस सदन के बाहर देश के जिम्मेदार लोगों के द्वारा व्यक्त किया जा रहा है। क्या मैं यह जान सकता हूं कि सरकार का ध्यान इस तरफ़ जायेगा और अपने तथ्यों के निष्कर्ष पर वह इस सदन को यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह जो कथन है वह कहां तक सही है? मैं समझता हूं कि आम लोगों के विश्वास के लिए इस प्रश्न का उत्तर आना अत्यन्त आवश्यक है।

जब हमारे देश का विकास योजनाबद्ध तरीक़े से हो रहा है तो आर्थिक शक्तियों का केन्द्रीकरण इस तरह की प्रवृत्ति देश में आना कि हमारे यहां की विषमता घटने के बजाय और बढ़े यह बात समझ में नहीं आती है। जब हम देश में एक प्लांड तरीक़े से चल रहे हैं, योजनाएं बना कर उनको कार्यान्वित कर रहे हैं तो तो उसका विपरीत दिशा की तरफ़ जो रुख दिखाई दे रहा है उसका क्या कारण है? यह एक बहुत ही गम्भीर प्रश्न है। मैं समझता हूं कि इस ओर माननीय वित्त मंत्री का ध्यान अवश्य जाना चाहिए और इस बात की सफ़ाई इस सदन को मिलनी चाहिए कि आखिर इसका कारण क्या है?

अभी कुछ दिन पहले हमारे वित्त मंत्री जी ने इस प्रकार का ऐलान किया कि आज देश में एकाधिकार की प्रवृत्ति बढ़ रही है। उसकी जांच के लिए उन्होंने जो कमीशन नियुक्त किया उसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं क्योंकि यह उनका एक सही क़दम कहा जा सकता है और वह वास्तव में है भी सही क़दम।

प्रोफेसर महालनविस समिति की रिपोर्ट इस सदन् में अब तक आ जानी चाहिए थी लेकिन वह यहां पर अभी तक नहीं आ सकी है। कुछ अख़बारों में हम देखते हैं कि उस रिपोर्ट के कुछ अंश जब तब छपते रहते हैं। उचित तो यह था कि वह रिपोर्ट समाचारपत्रों में छपने

[श्री भी० प्र० यादव]

से पहले इस सदन् में आती और उसके बाद वह अखबारों में छापी जाती लेकिन इसका बिल्कुल उलटा हो रहा है और हम देखते हैं कि अखबारों में उसकी रिपोर्ट बराबर आती रहती है। लेकिन इस सदन् को आज तक वह प्राप्त नहीं हो सकी है। जो भी रिपोर्ट्स अखबारों में प्रकाशित हुई हैं, उसका आंशिक रूप जो भी हमें प्राप्त हो सका है उसका तो अर्थ यही लगाया जा सकता है और उसमें कुछ जगह इस तरह का निष्कर्ष निकाला भी गया है कि हमारी आय की विषमता घटने के बजाय बढ़ने की दिशा में जा रही है और हमारी योजना ने उसको और प्रोत्साहित किया है। अगर यह तथ्य है कि हमारी योजनायें कान्सेन्ट्रेशन को प्रोत्साहित करती हैं, यह तो एक बड़ा गम्भीर प्रश्द है, जिसकी तरफ़ हमारा ध्यान जाना चाहिए।

समिति की रिपोर्ट में साफ तौर से कहा गया है :

"There can be no doubt that, in part at least, the working of our planned economy has encouraged this process of concentration by facilitating and aiding the growth of big business in India."

समिति की रिपोर्ट में इसका कारण भी दिया गया है कि हमारी इंडस्ट्रियल फ़िनांस कार्पोरेशन तथा नैशनल इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन छोटे छोटे उद्योगों की निस्बत बड़े उद्योगों और बड़ी कम्पनीज़ को ज्यादा एड देते हैं। इसका नतीजा यह है कि सब उद्योगों पर बड़ी कम्पनियों का कब्जा है, सब उद्योगों में बड़े बड़े उद्योगपतियों की पूंजी लगी हुई है और इस प्रकार उनका धन तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि सरकार की ओर से ऐसी मशीनरी स्थापित की जाये, जो इस बात का ध्यान रखे कि कहीं हमारी किन्हीं नीतियों से छोटे उद्योगों के पनपने में कठिनाई तो नहीं हो रही है। वित्त मंत्री जी को इस तरफ़ ध्यान देना चाहिए।

समिति ने यह भी कहा है :

"The Committee recounts the countervailing measures, taken by the Government but says that, despite all these the concentration of economic power in the private sector is more than what can be justified as necessary on the functional grounds."

समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि प्लानिंग की हमारी स्ट्रेटेजी दोषपूर्ण है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हमारी प्लानिंग की स्ट्रेट्रेजी दोषमुक्त नहीं है, तो फिर हमारे देश में आय की विषमता कैसे कम हो सकती है। समिति ने बताया है कि हमारी स्ट्रेटेजी इसलिए गलत है कि उस के परिणामस्वरूप हमारे देश में कन्सेन्ट्रेशन आफ़ इकानोमिक पावर घटने के बजाये कई क्षेत्रों में बढ़ गई है।

हमारे देश में विषमता कितनी ज्यादा है, प्रो० महालनवीस समिति ने इस बारे में कुछ आंकड़े प्रस्तुत किये हैं। १९६१ में कुल कम्पनियों में से ८६ प्रतिशत कम्पनियों के पास सिर्फ़ १४.६ प्रतिशत पेडअप कैपिटल था, जब कि सिर्फ़ १.६ प्रतिशत कम्पनियों के पास कुल पूंजी का ५३ प्रतिशत भाग था। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश में आय की विषमता कितनी है।

हम हर एक योजना में स्पष्ट रूप से यह कहते आये हैं कि हम आय की विषमता में कमी कर रहे हैं, लेकिन ये सब तथ्य इस बात को साबित करते हैं कि विषमता घटने के बजाये बढ़ रही है। मैं समझता हूं कि यह स्थिति हमारे देश के लिए खतरनाक साबित

हो सकती है । इसलिए सरकार को इन बातों की ओर हमेशा ध्यान देना चाहिए ।

देहाती क्षेत्रों में आय की जो विषमता है, उसे भी मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं । सैम्पल सरवे के आंकड़ों को देखने से साफ़ ज़ाहिर होता है कि १९५३–५४ में टाप एक प्रतिशत परिवार सारे देश की ज़मीन के १७ प्रतिशत के मालिक थे, पांच प्रतिशत लोग सारी ज़मीन के ४१ प्रतिशत के मालिक थे, दस प्रतिशत लोग सारी ज़मीन के ५८ प्रतिशत के मालिक थे और बीस प्रतिशत लोग ऐसे थे, जिन के पास ज़मीन थी ही नहीं ।

ये आंकड़े क्या साबित करते हैं ? जब हम अपनी योजनाओं में आर्थिक विषमता को कम करने की घोषणा करते आये हैं, तो प्रश्न यह है कि हम ने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कौन सा रास्ता निकाला । ये आंकड़े इस बात के द्योतक हैं कि हमारे देश में कितनी भीषण विषमता है । यह एक बहुत अहम सवाल है और जब तक हम इस तरफ़ ध्यान नहीं देंगे, तब तक करोड़ों किसानों और मजदूरों की दशा में किसी प्रकार का सुधार होना नामुमकिन सा लगता है ।

आज आवश्यकता इस बात की है कि रेगुलेशन की नीति अपनाई जाये । योजनाओं के कार्यक्रमों की हर एक स्टेज पर बारीकी से छान-बीन की जाये, ताकि कमज़ोरियों का पता ठीक समय पर लग सके और हम तत्काल ही उन को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकें ।

इस सदन में टैक्सों के सम्बन्ध में बहुत विस्तार से चर्चा हुई है । आज आम लोगों के मन में यह भावना है कि हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्सों का सही एसेसमेंट करने में और छिपे हुए धन को डिटेक्ट करने में कामयाब नहीं हुआ है । अगर हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुफ़िया छिपे हुए धन को देश के सामने ला सकता, तो आय की विषमता में इतना अधिक विरोधाभास नहीं रहता । इस सदन में बारबार इस बात की चर्चा होती आई है कि टैक्सों का सही एसेसमेंट नहीं होता है । इसलिए सरकार का ध्यान इस तरफ़ भी जाना चाहिए ।

अगर लाइसेंसिंग पालिसी पर ठीक ढंग से अमल किया जाये, अगर लाइसेंस देने के सम्बन्ध में काफ़ी नियंत्रण रखा जाये, तो आज जो मुट्ठी भर लोग सारे देश के उद्योगों को अपने कब्जे में किये हुए हैं, उन के एकाधिकार को समाप्त कर के छोटे उद्योगों को पनपने और प्रगति करने का मौका मिल सकता है और इस प्रकार विषमता में काफ़ी कमी की जा सकती है । सरकार को इस प्रश्न की ओर भी ध्यान देना चाहिए ।

17 hrs.

इसलिए मैं चाहता हूं कि संसद् सदस्यों और अर्थ-शास्त्रियों, अर्थ-विशेषज्ञों की एक कमेटी बना करके इन सारी चीज़ों की जांच करवाई । जाये वे इस बात का पता लगायें कि आर्थिक विषमता घटने के बजाय बढ़ क्यों रही है वह हर स्टेज पर उसका निरीक्षण कर, उसकी देखरेख करे, उसकी स्क्रूटनी करे ताकि यह तथ्य निकल सके कि हमारी योजना में कमी के कारण क्या हैं, क्यों त्रुटियां देखने में आ रही हैं और क्या यह इस वजह से तो नहीं हो रहा है कि जो मशीनरी योजना को लागू करने वाली है, उसमें कुछ कमी है ? इस तरह की कमेटी बनने से इस देश का बड़ा भला होगा और योजना भी कामयाब हो सकती है । इसलिए यह जरूरी है कि एक कमेटी बनाई जाये जो सारी चीज़ों की देखरेख कर सके और यह तथ्य निकाल सके कि तीसरी-चौथी प्लान में आर्थिक विषमता को कैसे कम किया जाये और जो रेशियो है वह १ : ३० से अधिक न . . .

उपाध्यक्ष महोदय : क्या ग्राप खत्म कर रहे हैं ?

श्री भी० प्र० यादव : मैं ग्रगली बार कंटिन्यू करना चाहूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत ग्रच्छा । ग्राप ग्रगली बार कंटिन्यू करें ।

17.01 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, April 24, 1964|*Vaisakha* 4, 1886 (*Saka*).

GMGIPND—LS II—399 (Ai) LS—13-5-64—980.